(5)

मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 7। /MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल, दिनांक 08/05/2020

प्रति,

1. कलेक्टर एवं ज़िला कार्यक्रम अधिकारी जबलपुर, मण्डला, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बैतूल.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, ज़िला पंचायत जबलपुर, मण्डला, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बैतूल.
3. वन मंडल अधिकारी, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल

विषय: - महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वन क्षेत्र में बाँस रोपण परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश

---00---

प्रदेश के बिगड़े वन क्षेत्रों के आसपास निवासरत ग्रामीण परिवारों को अल्पावधि में रोज़गार, दीर्घावधि में आजीविका का सुदृढ़ीकरण एवं वनावरण में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्रों एवं सामुदायिक भूमियों में बाँस रोपण परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बाँसरोपण परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

1. **परियोजना का संक्षिप्त विवरण:-**
    1. प्रदेश के वन क्षेत्रों के आसपास निवास करने वाले ग्रामीण परिवारों में गरीबी का प्रतिशत अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों के उत्थान हेतु स्वसहायता समूह का गठन किया गया है। बाँस रोपण से कम अवधि में उत्पादन लिया जा सकता है, किंतु बाँस रोपण की सफलता के लिए सतत रूप से प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। स्वसहायता समूहों के संगठन एवं सामूहिकता से बाँस रोपणों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः ऐसी ग्राम वन समितियाँ जहां बाँस के लिए उपयुक्त वन भूमि उपलब्ध है, वहां उस ग्राम में गठित स्वसहायता समूहों को प्रबंधन में भागीदार बना कर बाँस के उत्पादक रोपण सफलतापूर्वक स्थापित किए जा सकते है।

2. प्रथम 5 वर्ष तक कार्य संपादन के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत गरीब परिवार सुनिश्चित रोज़गार प्राप्त करेंगे एवं बाँस के रोपणों का प्रबंधन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। छठवें वर्ष से बाँस का उत्पादन प्रारंभ होगा, जिससे प्राप्त होने वाले बाँस में स्वसहायता समूह के साथ हिस्सेदारी करके प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रबंधन, विदोहन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु वन विभाग एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समन्वित रूप से कार्य करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते है।
3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में ग्राम सभा का गठन ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर किया जाता है, इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु दिनांक 22 अक्टूबर 2001 से जारी संकल्प में संयुक्त वन प्रबंधन समिति में वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ग) में गौण वन उत्पादों जिसमें बांस शामिल है, का गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारम्परिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार समुदाय का है। संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर 2001 की कंडिका 11.1.4 में प्रावधान है कि बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद पर ग्राम वन समिति का अधिकार होगा। ग्राम वन समिति चाहे तो अच्छे प्रबंधन हेतु उन्हें स्वसहायता समूह को प्रबंधन में शामिल कर सकते हैं तथा उसकी एवज में स्वसहायता समूह के सदस्यों को 80% तथा ग्राम वन समिति 20% उत्पाद का विभाजन करने का प्रावधान आम सभा में पारित कर सकते हैं।
4. ग्राम वन समिति, प्रथम चरण में छठवें वर्ष से प्रारंभ करके आगामी 7 वर्ष की अवधि तक उत्पाद का विभाजन करने की सहमति प्रदान करेगी। 7 वर्ष पश्चात ग्राम वन समिति आम सभा के माध्यम से समस्त परिस्थितियों पर विचार करके स्वसहायता समूह का कार्य संतोषप्रद होने पर पाँच-पाँच वर्ष के लिए अवधि में वृद्धि कर सकती है।
5. वन प्रबंधन में स्वसहायता समूह की भागीदारी से उपलब्ध होने वाले रोज़गार एवं वनोपज गरीब परिवारों की आजीविका को सुदृढ होगी साथ ही ग्राम वन समिति को भी वनोपज की प्राप्ति होगी। ग्राम वन समिति एवं

स्वसहायता समूहों के मध्य सहमति होने पर इस परियोजना को लागू किया जा सकेगा।

6. यह परियोजना केवल बाँस के प्रबंधन तक ही सीमित रहेगी तथा भूमि पर अन्य किसी प्रकार अधिकार नहीं सौंपा जाएगा।

2. **बाँस रोपण हेतु क्षेत्र चयन:-**

1. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बाँस रोपण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सक्रिय ग्राम वन समिति के क्षेत्र का चयन किया जाएगा जहां बाँस रोपण के लिए उपयुक्त, 0.4 घनत्व से कम आवरण वाला कम से कम 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र उपलब्ध हो। यदि चयनित क्षेत्र में पूर्व में बाँस पाए जाने का साक्ष्य हो तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक समूह को प्रति सदस्य कम से कम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रबंधन या कम से कम 625 बांस के पौधों का प्रबंधन सौंपा जाएगा।
2. परिक्षेत्र अधिकारी उपयुक्त वन क्षेत्रों वाली ग्राम वन समितियों की सूची तैयार करके मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं विकासखंड परियोजना प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर उपलब्ध वन क्षेत्र एवं सक्रिय स्वसहायता समूहों को ध्यान में रखकर ग्रामों का चयन करेंगे। प्रथम चरण में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा जहां पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त वन क्षेत्र बाँस रोपण के लिए उपलब्ध है जिसमें अधिकतम स्वसहायता समूह को शामिल किया जा सके। इससे क्षेत्र की सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण में सुविधा होगी। स्थानीय वन अधिकारी परियोजना के संबंध में अवगत कराने के लिए ग्राम वन समिति की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करेंगे एवं योजना लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा करके ग्राम सभा हेतु तैयारी करेंगे।
3. चयनित ग्रामों में बाँस रोपण परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु उपयुक्त स्वसहायता समूहों के चयन का ठहराव प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम सभा के सचिव एवं अध्यक्ष को अवगत करायेंगे। ग्रामसभा में पंचायत के प्रतिनिधियों, ग्राम वन समिति के पदाधिकारियों, वन विभाग एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्थानीय अधिकारी, रोज़गार सहायक एवं ग्राम में गठित समस्त स्वसहायता समूहों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। ग्रामसभा की बैठक हेतु परियोजना का विवरण एवं मार्गदर्शन विकासखंड परियोजना प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा

में परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आम सहमति बनने के पश्चात उपलब्ध वन क्षेत्र एवं इच्छुक स्वसहायता समूहों को ध्यान में रख कर स्वसहायता समूहों का चयन करके ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

(संलग्न प्रारूप-1)

4. ग्राम सभा के निर्णय को अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत ग्रामसभा के निर्णय का अनुमोदन करके जनपद पंचायत को भेजेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा परीक्षण करने के उपरांत चयनित ग्राम वार प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किया जाएगा।
5. जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अधीन गठित समिति, जिसमें वन मंडल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जिला परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल रहेंगे, द्वारा परीक्षण करके उपयुक्त परियोजना स्थलों का अनुमोदन किया जाएगा। जिला स्तर से अनुमोदन के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों को नरेगा के SOP (शेल्फ़ ऑफ प्रोजेक्ट) में शामिल किया जाएगा।

3. **प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन:-**

1. संबंधित वन मंडल अधिकारी एवं समस्त संबंधित क्षेत्रीय अमले को महात्मा गांधी नरेगा के विधिक एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के दक्ष अमले द्वारा कराए जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का होगा।
2. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित स्वसहायता समूहों को नियमित तकनीकी मार्गदर्शन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं वन विभाग के अमले द्वारा कराया जाएगा।

4. **क्रियान्वयन एजेंसी एवं तकनीकी मापदंड:-**

1. बाँस रोपण परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु वन विभाग मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगा। वन विभाग परियोजना का संपूर्ण तकनीकी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित स्वसहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

2. कार्यों के संपादन हेतु बीट गार्ड, पर्यवेक्षण हेतु परिक्षेत्र सहायक, कार्य संपादन के पश्चात भुगतान एवं सतत पर्यवेक्षण हेतु परिक्षेत्र अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उप वन मंडल अधिकारी द्वारा विभागीय प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा प्रतिवेदन वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. स्वसहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को औसतन एक हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, जहां कहीं बांस रोपण अयोग्य क्षेत्र बीच में आ जाते हैं तो प्रत्येक सदस्य को बांस के 625 पौधों का प्रबंधन सौंपा जाएगा।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत 40 से 50 श्रमिक कार्यरत होने पर परियोजना स्थल हेतु एक मेट रखा जा सकेगा, जिसे श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित अर्द्ध कुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी मस्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज होने के आधार पर देय होगी।
5. बाँस रोपण परियोजना के संबंध में निम्नानुसार तकनीकी मापदंडों का पालन किया जाएगा।

विवरण	मापदंड
परियोजना की अवधि	05 वर्ष
पौधों का अंतराल	4 मी. X 4 मी.
पौधों की संख्या	625 पौधे प्रति नेट हेक्टेयर
प्रथम वर्ष में मृत पौधों की गैप फिलिंग	अधिकतम 20 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष में मृत पौधों की की गैप फिलिंग	अधिकतम 10 प्रतिशत
625 पौधे प्रति हेक्टेयर की संख्या को यूनिट मान कर परियोजना स्वीकृत की जाएगी।	

6. बाँस परियोजना का प्राक्कलन SECURE वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत दरों एवं मानक मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाएगा। secure.nic.in पर अध्याय 63 में उपलब्ध शेड्यूल ऑफ रेटस में से गतिविधियों को चयनित करके परियोजना के प्राक्कलन हेतु उपयोग किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानीय सामग्री यथा लकड़ी/ बाँस के खंभे, कटीली झाड़ियों से

बागड़ निर्माण आदि हेतु SOR गतिविधियों को संलग्न परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा। परियोजना की सफलता हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पशु अवरोधक दीवार/खंती, अथवा अन्य विकल्प का चयन किया जाएगा।

7. बाँस रोपण में, विशेषकर सिंचित रोपण, यथासंभव उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। पौधरोपण हेतु नर्सरी में तैयार किए गए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का चयन किया जाएगा। पौधों की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट के बीच होगी।
8. परस्पर सहमति के आधार पर बाँस रोपण के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समिति एवं स्वसहायता समूह के मध्य एक समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) हस्ताक्षर किया जाएगा। **(संलग्न प्रारूप-2)**

5. **स्वीकृतियाँ:-**

1. नरेगा-सॉफ्ट (NERGA-Soft) में बाँस रोपण परियोजनाओं का पंजीयन सूखारोधन कार्यों की श्रेणी में किया जाएगा।
2. महात्मा गांधी नरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित बाँस रोपण परियोजनाओं के प्राक्कलन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मॉडल प्राक्कलन के आधार पर तैयार किए जाएंगे; जिसकी विधिवत तकनीकी स्वीकृति वन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी। वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जिला पंचायत को प्रेषित किए जाएंगे। प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा ऑफलाइन जारी की जाएगी।
3. प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियाँ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं वनमंडल अधिकारी को ज़िला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

6. **मूल्यांकन एवं भुगतान:-**

1. परियोजना हेतु क्रय की गई सामग्री के भुगतान हेतु मूल्यांकन का कार्य परिक्षेत्र अधिकारी एवं एवं सत्यापन उप वनमंडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. परियोजना की श्रम मूलक गतिविधियों जैसे- गड्ढा खोदना, साफ सफाई आदि, जिनका भुगतान टास्क/ जॉब दरों के आधार पर किया जाता

है, उन्हें मानव दिवस के आधार पर आकलित करके मस्टर रोल पर सत्यापित करने का कार्य संबंधित बीट गार्ड द्वारा किया जाएगा।

3. परिक्षेत्र सहायक द्वारा भुगतान हेतु वाउचर परिक्षेत्र अधिकारी को न्यूनतम समयावधि में प्रस्तुत किए जाएंगे। परिक्षेत्र अधिकारी नरेगा सॉफ्ट में फंड ट्रांसफर आर्डर (FTO) समयावधि में जारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. **पौधों की वर्ष वार उत्तरजीविता:-**

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार किस्तों का भुगतान पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर किया जाएगा।प्रथम वर्ष से प्रारंभ करके अंतिम वर्ष तक वर्षा ऋतु के समय 80% से अधिक पौधों के जीवित रहने की स्थिति में उस वर्ष की अंतिम किस्त का सामान्य भुगतान किया जाएगा।
2. वर्ष के अंत में वर्षा ऋतु के समय किए गए सत्यापन में जीवित पौधों की संख्या 80% से कम होने पर निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार समानुपातिक भुगतान अथवा वसूली की जाएगी।

वर्ष के अंत में वर्षा ऋतु के समय	जीवित पौधों का प्रतिशत	कार्यवाही
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, एवं पंचम वर्ष के अंत में	25 प्रतिशत तक पौधे जीवित	संबंधित वर्ष तक व्यय की गई राशि को क्रियान्वयन एजेंसी से वसूली कर परियोजना बंद की जाएगी
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, एवं पंचम वर्ष के अंत में	26 से 79 प्रतिशत पौधे जीवित	आगामी वर्षों में परियोजना हेतु निर्धारित मजदूरी दिवस एवं सामग्री की राशि का समानुपातिक भुगतान किया जाएगा।

8. **विदोहन एवं विपणन:**

1. बाँस रोपण की स्थापना की अवधि 5 वर्ष की पूर्णता के पश्चात आगामी 7 वर्ष तक स्वसहायता समूह द्वारा बाँस का विदोहन किया जाएगा। संवहनीय विदोहन के लिए वन विभाग के मार्गदर्शन में विदोहन योजना बनायी जाएगी तथा स्वसहायता समूह के सदस्यों को बाँस विदोहन के

समस्त कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यथा संभव, विदोहन का कार्य वन विभाग के मार्गदर्शन में स्वसहायता समूह द्वारा किया जाएगा। यदि विभागीय रूप से विदोहन किया जाता है, तो विदोहन व्यय लेकर वनोपज ग्राम वन समिति एवं स्वसहायता समूह को प्रदान की जाएगी।

2. ग्राम वन समिति विदोहन के पश्चात बाँस का 20 प्रतिशत तथा स्वसहायता समूह को 80 प्रतिशत भाग दिया जाएगा। स्थानीय वन अधिकारी बाँस की निकासी के पूर्व बँटन सुनिश्चित करेंगे।
3. बाँस के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार समाप्त हो चुका है, अतः ग्राम वन समिति एवं स्वसहायता समूह बाँस की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ग्राम वन समिति के निवेदन पर शासकीय काष्ठागार में थप्पी लगाकर बाँस की बिक्री की जा सकेगी।

9. **पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण:-**

1. बाँस रोपण परियोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उप वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। उपवनमंडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन का सत्यापन/परीक्षण करके प्रतिवेदन वनमंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बाँस रोपण का मासिक प्रगति प्रतिवेदन महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य अभिलेखों का नियमित रूप से संधारण किया जाकर स्वसहायता समूहों द्वारा समय-समय पर ग्राम सभा/ ग्राम वन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4. बाँस रोपण परियोजना के लिए समस्त तकनीकी एवं वित्तीय अभिलेख वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी कार्यालय द्वारा संधारित किए जाएंगे
5. देयकों की नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि संबंधित प्रोग्राम अधिकारी अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी सीधे कर सकेंगे यदि देयकों की प्रविष्टि में कोई समस्या आएगी तो परिक्षेत्र अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत के सहयोग से इस कार्य को क्रियान्वित कर सकेगा।
6. बाँस रोपण गतिविधियों के अनुमति कार्यों के लिए वन मंडल अधिकारी को लॉगिन पासवर्ड प्रदाय किया जाएगा जिसके माध्यम से कार्य पूर्ण होने

पर 1 माह की अवधि में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र नरेगा सॉफ्ट में अपलोड करने का उत्तरदायित्व वन मंडल अधिकारी का होगा।

10. **गतिविधियों एवं दायित्वों का संक्षिप्त विवरण:-**

बाँस रोपण परियोजना की सफलता अंतर विभागीय सहयोग एवं समन्वय से सुनिश्चित हो सकेगी। परियोजना की तैयारी, कार्यों का संचालन, पर्यवेक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकन हेतु जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है -

गतिविधि/ दायित्व	जिम्मेदार अधिकारी
बॉस रोपण परियोजना तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय करना। ग्राम वन समिति की बैठक आयोजित कराना, स्वसहायता समूह को मार्गदर्शन देना एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संपादित करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परिक्षेत्र अधिकारी एवं परियोजना अधिकारीSRLM
मज़दूरों की मांग की प्रविष्टि, वेज लिस्ट जनरेट करना, मज़दूरों की हाज़िर की प्रविष्टि	बीट गार्ड/ मेट
समय पर मस्टररोल जारी करना, प्रविष्ट बिलों के आधार पर नरेगा सॉफ्ट में सामग्री बिल सूची तैयार करना	परिक्षेत्र सहायक
प्रथम वर्ष की द्वितीय एवं तृतीय किस्त के कार्यों का भौतिक सत्यापन। फेंसिंग, क्षेत्र तैयारी एवं पौधारोपण के उपरांत सत्यापन।	परिक्षेत्र सहायक
बिल/वाउचर की नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि सुनिश्चित करना। प्रत्येक वर्ष के अंत में पौधों की उत्तरजीविता का भौतिक सत्यापन करना।	वन परिक्षेत्र अधिकारी
नरेगा सॉफ्ट में भुगतान हेतु एफटीओ(फंड ट्रांसफर आर्डर) तैयार करना।	परिक्षेत्र लिपिक प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ता
वर्क आर्डर जारी करना, मस्टररोल जारी करना व फंड ट्रांसफर(FTO) करना, समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना, जनपद स्तर पर समन्वय करना।	परिक्षेत्र अधिकारी

जनपद पंचायत स्तर पर परियोजना की सतत समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण हेतु समन्वय करना।स्वसहायता समूह से जुड़े विषयों पर कार्यवाही करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
वर्ष में न्यूनतम एक बार बाँस रोपण परियोजना का भौतिक सत्यापन करना , वर्ष वार/ चरण वार पौधों की उत्तरजीविता के अनुसार समानुपातिक भुगतान सुनिश्चित कराना	उप वन मंडल अधिकारी
योजना के कार्यों एवं भुगतान आदि की स्थिति का सतत पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन, ज़िला स्तर पर समन्वय, परियोजना की अवधि पूर्ण होने के एक माह के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र अपने लॉगिन से नरेगा सॉफ्ट में जारी/अपलोड करना।	वन मंडल अधिकारी
योजना का सतत पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन, ज़िला स्तर पर समन्वय करके आजीविका से जुड़े अन्य विषय जैसे बाँस से बनी सामग्री के निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन आदि की व्यवस्था एवं तात्कालिक समस्याओं का निराकरण करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति

(अशोक बर्णवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रं. 72 /MGNREGS-MP/NR-3/2020
भोपाल, दिनांक 08 / 05 /2020

प्रतिलिपि -

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
3. संभागायुक्त, जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग ।
4. मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
6. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
7. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश बीज भवन, भोपाल ।
9. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल ।
10. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल ।

अति० आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मध्यप्रदेश

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वनक्षेत्र में बांसरोपण परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु संयुक्त हस्ताक्षर से जारी दिशा-निर्देश क्र. .....दिनांक .....का प्रपत्र -1

वन परिक्षेत्र का नाम.....

वन मंडल का नाम.....

जनपद पंचायत.....

जिला.....

बांसरोपण परियोजना हेतु चयनित क्षेत्र - आरक्षित / संरक्षित, वनक्षेत्र / सामुदायिक भूमि (√ करें)

क्र.	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	10 हेक्टेयर प्रति परियोजना हेतु भूमि विवरण		
			सर्वे नंबर / कक्ष क्र	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	इच्छुक स्वसहायता समूह का नाम व डाक का पता, अध्यक्ष का संपर्क नंबर

दिनांक .....दिन .....को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ठहराव प्रस्ताव क्र.....के द्वारा उक्त तालिका में दर्शित बांसरोपण परियोजनाओं के क्रियान्वयन व प्रबंधन में वन समिति के साथ भागीदारी हेतु स्वसहायता समूहों के चयन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर व सील
सचिव, ग्राम सभा

हस्ताक्षर व सील
अध्यक्ष, ग्राम सभा

सरपंच / प्रशासक,

ग्राम सभा द्वारा पारित उपरोक्त बांस रोपण परियोजनाओं को महात्मा गांधी नरेगा योजना से क्रियान्वयन मय 5 वर्ष तक रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर व सील
सरपंच / प्रशासक
ग्राम पंचायत .....
जनपद .....

बाँस रोपण हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं स्वसहायता समूह के बीच सहमति का ज्ञापन

(Memorandum of Understanding between Joint Forest Management Committee and Self Help Groups)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में ग्राम सभा का गठन ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर किया जाता है, इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु दिनांक 22 अक्टूबर 2001 से जारी संकल्प में संयुक्त वन प्रबंधन समिति में वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ग) में गौण वन उत्पादों जिसमें बांस शामिल है, का गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारम्परिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार समुदाय का है।

मध्य प्रदेश के जिला.....जनपद..... ग्राम पंचायत ..... के ग्राम ..... में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा जारी संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई ग्राम वन समिति, जिसे आगे "समिति" कहा गया है, जिसमें समिति की कार्यकारिणी तथा उनके सदस्यों का भी समावेश होगा तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीब परिवारों की आजीविकाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम में गठित किए गए "स्वसहायता समूह", जिसमें समूह के सदस्य शामिल है, जिसे आगे समूह कहा गया है। समिति एवं समूह के बीच बाँस रोपण के प्रबंधन अर्थात क्षेत्र तैयारी, सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं पौधों की देखभाल तथा बाँस रोपण से प्राप्त होने वाले वाँस के विदोहन एवं उत्पाद में हिस्सेदारी हेतु परस्पर सहमति हुई है। समिति को आवंटित वन क्षेत्र में बाँस रोपण का क्रियान्वयन करने के लिए ग्राम वन समिति तथा स्वसहायता समूह के बीच आपसी निम्न ज्ञापन के अनुसार सहमति हुई है, जिसमें निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए सहमति पत्र निष्पादित किया जाता है:-

1. समिति को वन प्रबंधन हेतु आवंटित किए गए वन क्षेत्र में बाँस रोपण परियोजना को क्रियान्वयन करने हेतु समिति के सदस्यों के बीच गठित किए गए समूह को प्रबंधन की जिम्मेदारी देना मान्य करती है।

2. समिति द्वारा बाँस रोपण परियोजना के लिए कम से कम इतना वन क्षेत्र चिन्हित जाएगा कि समूह के प्रत्येक सदस्य को 625 बाँस के पौधे, 4 मीटर X 4 मीटर के अंतराल पर लगाए जा सके।
3. यह परियोजना केवल बाँस रोपण के प्रबंधन तक ही सीमित रहेगी तथा भूमि पर अन्य किसी प्रकार का अधिकार नहीं सौंपा जाएगा।
4. क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ग्राम वन समिति समूह को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी तथा भविष्य में बाँस के रोपण हेतु आवंटित वन क्षेत्र में कोई नवीन गतिविधि तब तक नहीं की जाएगी जब तक की उस भूमि पर उत्पादक बाँस रोपण स्थित रहेगा।
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु जारी किए गए संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर 2001 की कंडिका-11.1.4 में प्रावधान है कि बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार से प्राप्त होने वाले वन उत्पाद पर ग्राम वन समिति का अधिकार होगा। समूह के द्वारा क्रियान्वित किए गए बाँस रोपण से प्राप्त होने वाले उत्पाद के 80% भाग पर समूह एवं 20% भाग पर ग्राम वन समिति का अधिकार होगा।
6. बाँस रोपण स्थापना की अवधि 5 वर्ष की होगी। छठवें वर्ष से प्रारंभ करके 7 वर्ष की अवधि तक बाँस के विदोहन का अधिकार स्वसहायता समूह को होगा। 7 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वन समिति को यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय परिस्थितियों, समूह के कार्य एवं प्रबंधन की समीक्षा करके पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन का कार्य समूह को सौंप सकेगी। समिति पुनः समीक्षा करके पांच-पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन का कार्य समूह को सौंप सकेंगी।
7. बाँस रोपण परियोजना की 5 वर्ष की अवधि के दौरान बाँस रोपण के कार्यों पर आने वाले व्यय का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। बाँस परियोजना के श्रम मूलक कार्यों के संपादन हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत समूह के सदस्यों को ही लगाया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में, जबकि निर्धारित समयावधि में कार्य संपादन आवश्यक हो अथवा समूह के सदस्य के 1 वर्ष में 100 दिन के रोज़गार पूर्ण होने पर अन्य श्रमिकों को कार्य संपादन के लिए लगाया जा सकेगा।
8. बाँस रोपण के प्रबंधन के लिए किसी आकस्मिक कार्य के संपादन के लिए समूह एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट में प्रावधानित राशि से किया जावेगा। ग्राम वन समिति द्वारा बाँस रोपण के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा।
9. बाँस रोपण क्षेत्र में अग्नि, अवैध चराई, कटाई उत्खनन आदि से बचाव करने एवं क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, वनों एवं वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने की कोई घटना

प्रकाश में आते ही उसकी सूचना ग्राम वन समिति के अध्यक्ष एवं वन विभाग के स्थानीय अधिकारी को देने की ज़िम्मेदारी समूह के सदस्यों की होगी।

10. इस सहमति ज्ञापन में निर्धारित कार्य संतोषजनक पूर्ण रूप से पालन नहीं करने की स्थिति में यदि समिति यह पाती है कि अब रोपण क्षेत्र को स्वसहायता समूह के प्रबंधन में रखे जाने से स्थाई रूप से नुकसान पहुंचने की संभावना है तो ग्राम वन समिति बाँस रोपण को अपने प्रबंधन में ले सकेगी। लेकिन ऐसा निर्णय लेने के पूर्व समूह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा ठहराव प्रस्ताव पारित करने के पश्चात ही निर्णय को लागू किया जा सकेगा।

11. दोनों पक्षों के बीच असहमति अथवा विवाद की स्थिति में, जो कि समझौते की व्याख्या के संबंध में या समझौते की किसी शर्त से संबंधित हो, कोई भी पक्षकार अपना पक्ष जनपद स्तर पर गठित समिति के समक्ष रख सकेंगे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सदस्य होंगे।

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में बाँस रोपण परियोजना हेतु गठित की गई समिति, जिसमें वन मंडल अधिकारी सदस्य हैं, के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को वाध्यकारी होगा।

हम अवगत हैं कि इस सहमति ज्ञापन में दर्शाए अनुसार निर्धारित कार्यों एवं दायित्वों का सम्यक रूप से पालन करने के पश्चात ही स्वसहायता समूह को निर्धारित मात्रा में वनोपज प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले मूल्यांकन के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि दोनों पक्ष अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन सफलतापूर्वक कर रहे हैं

मैं स्वसहायता समूह---------- ग्राम----------
ग्रामपंचायत---------- जनपद---------- जिला-------
---------- का अध्यक्ष, स्वसहायता समूह की ओर से इस ज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन हेतु स्वेच्छा से वचनवद्ध हूं तथा इसमें वर्णित समस्त शर्तों को भली प्रकार समझ कर ज्ञापन में हस्ताक्षर कर रहा हूं

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष, स्वसहायता समूह----------
ग्राम ----------
जिला ----------

हस्ता.साक्ष्य :
1.
2.

मैं ग्राम वन समिति ---------- का अध्यक्ष, समिति की ओर से इस ज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन हेतु स्वेच्छा से वचनवद्ध हूं तथा इसमें वर्गित समस्त शर्तों को भली प्रकार समझ कर ज्ञापन में हस्ताक्षर कर रहा हूं

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, ग्राम वन समिति----------

वन परिक्षेत्र ----------

जिला ----------

हस्ता.साक्ष्य :

1.

2.